प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 मार्च 2025

विषयः- जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टप्पू सिंह उर्फ गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरपाल सिंह, निवासी जनपद-सीतापुर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-2458/प्रो0 (06)/221, दिनांक 29.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टप्पू सिंह उर्फ गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरपाल सिंह, राठौरपुर, थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी टप्पू सिंह उर्फ गजेन्द्र सिंह पुत्र वीरपाल सिंह द्वारा दिनांक 20.06.2004 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पूर्व में घर में आग लगा देने की रजिश के कारण तमंचे से फायर करके पप्पू सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं उसके भाई को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 796/2004 में भा०द०वि० की धारा-302/34, 307, 504, 506 व 7 क्रि०ला० अमेंडमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-03, सीतापुर के आदेश दिनांक 18.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2022 तक 18 वर्ष 05 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 03 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बंदी द्वारा कारागार की भोगी गयी सजा, कारावास की अवधि में जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018 दिनांक 01 अगस्त, 2018 व शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0 /2018 दिनांक 28 जुलाई, 2021 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018 दिनांक 27 मई, 2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी टप्पू सिंह उर्फ गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरपाल सिंह की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टप्पू सिंह उर्फ गजेन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-196/2019) पुत्र श्री वीरपाल सिंह, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-297/2025/206(1)/22-2-2024 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।